संख्या : 1/2017/जी0आई0-15/28-1-2017-17(9)/2008टी0सी0

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय अनुभाग-1 लखनऊ :: दिनांक : 09/14 नवम्बर, 2017

विषय : उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य चिकित्सकीय व्यथा नीति (Medical Hardship Policy) के अन्तर्गत आवंटित कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 73(2) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्तिम आवंटन आदेश जारी किये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से आवंटित कार्मिकों की सेवायें एवं उनकी ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 के पार्ट 8 की धारा 73, 74 एवं 75 में प्रावधान किया गया है कि आवंटित कार्मिकों के सम्बन्ध में उनकी समस्त सेवा सम्बन्धी शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या 27/10/2015-एस0आर0एस0, दिनांक 10 अप्रैल, 2017 द्वारा ''चिकित्सकीय व्यथा नीति (Medical Hardship Policy)'' की कोटि के अन्तर्गत आवंटित कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारण 'दाम्पत्य नीति' की श्रेणी के अन्तर्गत आवंटित कार्मिकों के समान किये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत अन्तिम रूप से आवंटित कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 194/28-1-2009, दिनांक 04 फरवरी, 2009 में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है -

(क) ऐसे शासकीय विभागों के सेवक जिन्हें उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड राज्य अन्तिम रूप से आवंटित हुआ हो, दाम्पत्य नीति के अनुसार स्थानान्तरणोपरान्त उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड में नियत तिथि दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को धारित पद के स्तर पर ही समायोजन के पात्र होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(झ) ऐसे शासकीय सेवक (दाम्पत्य नीति से आच्छादित प्रकरण) जिन्हें उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड राज्य अन्तिम रूप से आवंटित हुआ हो, वे उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड में नियत तिथि दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को जिस पद एवं जिस स्थिति में थे, उसी पद एवं स्थिति पर तथा उसी विभाग/विभागाध्यक्ष के अधीन सेवा के पद/संवर्ग में उसी वेतनमान एवं समकक्ष कार्य प्रकृति के पद पर समायोजित होंगे।

(ढ) यदि नीति के अनुसार स्थानान्तरित दम्पत्ति को अन्तिम रूप से उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किया जा चुका हो, तो समायोजन के फलस्वरूप उत्तरवर्ती राज्य में कार्यभार ग्रहण करने वाले शासकीय सेवकों को संविलयन करते हुये उनकी ज्येष्ठता तिथि दिनांक 09 नवम्बर, 2000 से निर्धारित की जायेगी।

(ण) भारत सरकार द्वारा अन्तिम राज्य के दिनांक 09 नवम्बर, 2000 के बाद किसी शासकीय सेवक को उत्तरवर्ती राज्य में यदि पदोन्नति दी गयी है और वह उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड (जैसी भी स्थिति हो) राज्य में समायोजन चाहता है, तो उन्हें समायोजन पर आये उत्तरवर्ती राज्य में अन्तिम आवंटन के समय दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को धारित पद पर पदावनत कर, उस राज्य में संविलयन किया जायेगा। समायोजन के पश्चात उत्तरवर्ती राज्य में कार्यभार ग्रहण करने के बाद सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी यदि संवर्ग में पदोन्नति हेतु पात्रता रखते हैं, तो इस पर सम्बन्धित राज्य द्वारा विचार किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 में दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश या उत्तराखण्ड को आवंटित शासकीय सेवक को दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को धारित पद पर पदावनत कर आवंटी राज्य की सेवा में संविलयन किये जाने का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि दिनांक 09 नवम्बर, 2000 की तिथि, दूसरे राज्य से आये कार्मिकों की उसी सेवा संवर्ग में संविलयन की तिथि है, न कि ज्येष्ठता निर्धारण की। कार्मिक नियत तिथि को जिस पद पर थे उसी पद पर तथा उसी विभाग/विभागाध्यक्ष के अधीन सेवा के पद/संवर्ग में उसी वेतनमान एवं समकक्ष कार्य प्रकृति के पद पर समायोजित होंगे, अर्थात वे अपने संवर्ग में जिस चयन वर्ष/बैच में सेवायोजित हुये हैं उसी ज्येष्ठता के अनुसार उन्हें उत्तरवर्ती राज्य में भी ज्येष्ठता प्राप्त होगी। उनकी ज्येष्ठता का ह्रास नहीं होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अत: चिकित्सकीय व्यथा की कोटि के अन्तर्गत आवंटित कार्मिकों के ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या : जी0आई0-15(1)/28-1-2017-17(9)/2008टी0सी0, तद दिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) प्रमुख सचिव, राज्य पुनर्गठन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(3) अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
(4) निदेशक (एस0आर0), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
(5) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(6) पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, लखनऊ।
(7) स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
(8) अध्यक्ष, परामर्शीय समिति/संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
(9) रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(10) रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, लखनऊ बेन्च, लखनऊ।
(11) रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
(12) अपर स्थायी अधिवक्ता, भारत सरकार, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
(13) अपर स्थायी अधिवक्ता, भारत सरकार, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(14) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, लखनऊ बेन्च, लखनऊ।
(15) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।